निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा

प्रकरण संख्या–2022 / 38

दायर दिनांक–02 / 05 / 2022

उनवान

1.श्री भोपाल पिता श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा।

2.श्री वरदीचन्द पिता श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा।

3.श्री वरदीराम पिता श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी कालिका माता मंदिर के पास खान्दु बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा।

4.श्रीमती कमला बेवा श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा।

1618 / 854

(वादीगण)

बनाम

1. श्रीमती रावजी पिता हमीरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी खारवेला, ठीकरिया, तहसील व जिला बांसवाडा।
2. श्री बहादुर पिता रावजी भील उम्र वयस्क निवासी खारवेला, ठीकरिया, तहसील व जिला बांसवाडा।
3. विष्णु पिता सोमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति :–

1.श्री जयेन्द्र पुरोहित — अधिवक्ता वादी

वाद अंतर्गत धारा– 188, 209 आर.टी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः–28.06.2024

सक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खोतदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 593 नया, 517 पुराना का खेत सर्वे नम्बर 1227 / 2 रकबा 0.6068 लगान 0.79 पैसा वाके ग्राम ठीकरिया पटवार हल्का ठीकरिया तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा में स्थित है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त खेत के चारों तरफ सिमेन्ट के पॉल की बाउण्ड्री बनी हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण के अलावा अन्य किसी का आधिपत्य

उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

नहीं है। वादवर्णित कृषि भूमि का साबिक सर्वे नं. 1227/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा लगान 2.14 पैसा को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता श्री सोमा पुत्र श्री नाथु के द्वारा प्रतिववादीगण संख्या 1 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.06.1979 के द्वारा किमतन क्रय की हैं तब से श्री सोमा उपरोक्त कृषि पर काबिज होकर नियमित व निर्बाध रुप से काश्त कर रहे हैं। श्री सोमा की मृत्यु के पश्चात वादीगण का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व विलेख में बहैसियत दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 09.04.2022 को उपरोक्त वादवर्णित कृषि भूमि में अवैध व अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण कर प्रवेश कर गये और वादीगण के द्वारा उपरोक्त कृषि के चारो तरफ बनाई गई बाउण्ड्री को तोडने लगे प्रतिवादीगण की भूमि में अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर खुदाई करने लगे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त में रुकावट पैदा कर वादीगण को आर्थिक क्षति पहुंचा रहे है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 और 2 वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 593 नया 517 पुराना खसरा नंबर 1227/2 रकबा 0.6068 है0 पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर इस आशय की डिक्री जारी करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पाटीदार ने वकालतनामा पेश किया परंतु जवाब प्रस्तुत न कर दिनांक 14.12.2022 को प्रतिवादी को स्वय के स्तर पर नोटिस जारी कर No instruction plead कर दिया जिससे पत्रावली साक्ष्यवादी में मुकरर्र कर पीडब्लू– 1 के रुप में वादी संख्या 1 भोपाल पिता सोमा से दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2074–77 प्रदर्श करवाया गया एवं पत्रावली पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 अभिलिखित खातेदार होकर काबिज काश्त है जो कि प्रदर्श 1 से प्रमाणित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर इस आशय की डिक्री जारी की जावे।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया एवं बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया। जाहिर हुआ कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 593 नया 517 पुराना खसरा नंबर 1227/2 रकबा 0.6068 है0 के अभिलिखित खातेदार है जो कि प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2074–77 से प्रमाणित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 593 नया 517 पुराना खसरा नंबर 1227/2 रकबा 0.6068 है0 पर पावंद किया जाता है कि वादीगण के काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं अतिक्रमण नहीं करें।

इस आशय की डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 2022/38

उनवान

1.श्री भोपाल पिता श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा।

2.श्री वरदीचन्द पिता श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा।

3.श्री वरदीराम पिता श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी कालिका माता मंदिर के पास खान्दु बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा।

4.श्रीमती कमला बेवा श्री सोमा, जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा।

(वादीगण)

बनाम

1.श्रीमती रावजी पिता हमीरा जाति भील उम्र वयस्क निवासी खारवेला, ठीकरिया, तहसील व जिला बांसवाडा।

2.श्री बहादुर पिता रावजी भील उम्र वयस्क निवासी खारवेला, ठीकरिया, तहसील व जिला बांसवाडा।

3. विष्णु पिता सोमा जाति भील उम्र वयस्क निवासी सेक्टर नं. 8 खान्दु कॉलोनी, तहसील व जिला बांसवाडा।

(प्रतिवादीगण)

वाद बाबत् बंटवारा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 28.06.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी 1227/2 रकबा 0.6068 के ग्राम ठीकरिया पर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुवलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 28.06.2024 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)
बासवाडा